<u>न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट।</u>

<u>वारण्ट दाण्डिक वाद संख्या- 87 / 2019</u>

सरकार बनाम हरछठ आदि

मु.अ.सं.-148/2018
धारा-323,325,504,506 भा.द.सं.।
थाना-मऊ।
जिला-चित्रकूट।

<u>आरोप</u>

मैं सुमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट आप अभियुक्तगण हरछठ, राजा, सोसे व मुकेश को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-16.09.2017 को समय दोपहर लगभग 02 बजे, स्थान-खेत वादी वह्द ग्राम-तिलिहा, मजरा-नौबस्ता, थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट में आप लोगों ने वादी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया है। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उक्त तिथि समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को मारपीट कर दाहिना हाथ व पैर तोड़कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया है। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उक्त तिथि समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को भद्दी-भद्दी गालियाँ देकर शासय अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उक्त तिथि समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी जिसके द्वारा आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-14.08.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-14.08.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।